न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 14 / 2026

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री बृजेश शर्मा पुत्र श्री हेमन्त कुमार शर्मा (विक्रेता), मैसर्स वेस्टीन रिसोर्ट एण्ड स्पा, खसरा नम्बर 1242–43, ग्राम सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन जिला अजमेर। निवासी भगवानपुरो, पुष्कर ग्रामीण, तहसील पुष्कर जिला अजमेर
2. श्री पंकज साबू पुत्र श्री प्रेमाशंकर साबू (पार्टनर) मैसर्स वेस्टीन रिसोर्ट एण्ड स्पा, खसरा नम्बर 1242–43, ग्राम सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन जिला अजमेर। निवासी 12, सूरजनगर पश्चिम, सिविल लाईन जयपुर
3. श्री विनायक साबू पुत्र श्री पंकज साबू (पार्टनर) मैसर्स वेस्टीन रिसोर्ट एण्ड स्पा, खसरा नम्बर 1242–43, ग्राम सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन जिला अजमेर। निवासी 12, सूरजनगर पश्चिम, सिविल लाईन जयपुर
4. श्रीमती मंजूश्री साबू पत्नी श्री पंकज साबू (पार्टनर) मैसर्स वेस्टीन रिसोर्ट एण्ड स्पा, खसरा नम्बर 1242–43, ग्राम सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन जिला अजमेर। निवासी 12, सूरजनगर पश्चिम, सिविल लाईन जयपुर
5. मैसर्स वेस्टीन रिसोर्ट एण्ड स्पा, खसरा नम्बर 1242–43, ग्राम सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II)एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी स 1 श्री बृजेश शर्मा

–: <u>आदेश</u> :–

दिनांक – 11.03.2026

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) दही का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6

की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.05.2025 को 06:00 पीएम पर मैसर्स वेस्टीन रिसोर्ट एण्ड स्पा, खसरा नम्बर 1242—1243, ग्राम सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री बृजेश शर्मा मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो उसके पास मौके पर उपलब्ध था।खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय रेस्टोरेन्ट में खाना बनाने के लिए 05 किलोग्राम दही विक्रय हेतु रखा हुआ मिला।उक्त दही में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 01 किलोग्राम दही रू. 100/— रूपयें श्री बृजेश शर्मा को नगद देकर गवाह श्री दीपक कुमार सिन्धी के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री बृजेश शर्मा को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा दही को चार साफ, खुली प्लास्टिक की बोतल में 250—250 ग्राम भरकर प्रत्येक बोतल में 20—20 बूंद फार्मेलीन की डालकर , चार नमूने तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए—5053 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/4504 दिनांक 10.06.2025 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/791/एक्ट/2025/811 दिंनांक 18.09.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा द्वितीय सेम्पल की जाँच हेतु अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 28.01.2026 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 28.01.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं 1 श्री बृजेश शर्मा ने उपस्थित होकर लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। उन्होने निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रेस्टोरेन्ट से दही का नमूना लिया गया जो कि जाँच में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया। उनके द्वारा उक्त दही रूफिल कम्पनी से खरीदा जाता है, अतः वाद में रूफिल कम्पनी को भी सम्मिलित किया जावे तथा वेस्टीन स्पा एण्ड रिसोर्ट की तरफ से श्री अश्विनी कुमार (फूड सेफ्टी ऑफिसर) तथा वसीम शाह मुजफ्फर (सुरक्षा अधिकारी) को प्राधिकृत करने की अनुमति प्रदान किये।

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थी द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर एवं इसके साथ प्रस्तुत टैक्स बिल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त दही स्वयं नहीं बनाया जाकर रूफिल कम्नी से क्रय किया गया है तथा रूफिल कम्नी द्वारा ही निर्मित एवं पैक किया गया है। इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा निर्माता कम्पनी या उनके किसी अधिकृत नॉमिनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण

द्वारा नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद (दही) का निर्माण, पैकिंग या लेबलिंग नहीं की गयी है तथा उत्पाद की गुणवत्ता व शुद्धता के लिए भी उत्तरदायी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद (दही) में निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया जाना एक गम्भीर विधिक त्रुटि है। विचाराधीन परिवाद में अप्रार्थीगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80(ख)(2)(घ)(I) के प्रावधान भी प्रभावी नहीं हो रहे है।

अतः विचाराधीन परिवाद में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद (दही) की विनिर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाये जाने एवं खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों की पूर्णतया पालना नहीं किये जाने के कारण उक्त परिवाद विधिक दृष्टि से दोषयुक्त होने के कारण पुनः लौटाया जाकर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को निर्देश दिये जाते है कि परिवाद का पूर्णतया परीक्षण कर, सभी उत्तरदायी व्यक्तियों/कम्पनियों को पक्षकार बनाया जाकर पुनः परिवाद प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2026/1066-73 दिनांक : 16.03.2026.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर।
4. श्री बृजेश शर्मा पुत्र श्री हेमन्त कुमार शर्मा (विक्रेता), मैसर्स वेस्टीन रिसोर्ट एण्ड स्पा, खसरा नम्बर 1242–43, ग्राम सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
   निवासी भगवानपुरा, पुष्कर ग्रामीण, तहसील पुष्कर जिला अजमेर
5. श्री पंकज साबू पुत्र श्री प्रेमाशंकर साबू (पार्टनर) मैसर्स वेस्टीन रिसोर्ट एण्ड स्पा, खसरा नम्बर 1242–43, ग्राम सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
   निवासी 12, सूरजनगर पश्चिम, सिविल लाईन जयपुर
6. श्री विनायक साबू पुत्र श्री पंकज साबू (पार्टनर) मैसर्स वेस्टीन रिसोर्ट एण्ड स्पा, खसरा नम्बर 1242–43, ग्राम सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
   निवासी 12, सूरजनगर पश्चिम, सिविल लाईन जयपुर
7. श्रीमती मंजूश्री साबू पत्नी श्री पंकज साबू (पार्टनर) मैसर्स वेस्टीन रिसोर्ट एण्ड स्पा, खसरा नम्बर 1242–43, ग्राम सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
   निवासी 12, सूरजनगर पश्चिम, सिविल लाईन जयपुर
8. मैसर्स वेस्टीन रिसोर्ट एण्ड स्पा, खसरा नम्बर 1242–43, ग्राम सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते